न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 32 / 2014

अनवान

1. श्रीमती लाली पत्नि स्व0 श्री हारागा जी एवं पुत्री स्व0 श्री भौमा जी जाति चीता निवासी हाल ग्राम खींपरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर।
2. श्रीमती सुवा पत्नि श्री आजमाल जी एवं पुत्री स्व0 श्री भौमा जी जाति चीता निवासी हाल पंचमता (बिठूर) तहसील नसीराबाद जिला–अजमेर। ....अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।
2. भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर।
3. श्री चांदू पुत्र स्व0 श्री भौमा जी
4. श्री सुवान पुत्र स्व0 श्री भौमा जी
5. सम्पति पुत्री स्व0 नींबा जी पुत्र स्व0 श्री भौमा जी
6. नर्बदा पुत्री स्व0 नींबा जी पुत्र स्व0 श्री भौमा जी
7. साबुडी पुत्री स्व0 नींबा जी पुत्र स्व0 श्री भौमा जी
   जाति सभी चीता निवासीगण सेंदरियॉ तहसील व जिला–अजमेर।
8. श्रीमती बरदी पत्नि स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
9. रूपसिंह पुत्र स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
10. गंगा पुत्री स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
11. रूपी पुत्री स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
12. जमना पुत्री स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
13. सीता पुत्री स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
14. गीता पुत्री स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
15. श्रीमती चैका देवी पत्नि श्री हेमसिंह पुत्र स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
16. छगन सिंह पुत्र श्री हेमसिंह पुत्र स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
17. मगन सिंह पुत्र श्री हेमसिंह पुत्र स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
18. सन्ता पुत्री श्री हेमसिंह पुत्र स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
19. सीताराम पुत्र स्व0 श्री खेमसिंह पुत्र स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
20. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री खेमसिंह पुत्र स्व0 श्री कज्जा जाति रावत
21. कालू ना–बालिग पुत्र स्व0 खेमसिंह जरिये संरक्षक भाई सीताराम
22. जयसिंह ना–बालिग पुत्र स्व0 श्री खेमसिंह जरिये सरंक्षक भाई सीताराम
23. जग्गू ना–बालिग पुत्र स्व0 श्री खेमसिंह जरिये सरंक्षक भाई सीताराम
24. मोन्टी ना–बालिग पुत्र स्व0 श्री खेमसिंह जरिये सरंक्षक भाई सीताराम
25. सीमा पुत्री स्व0 श्री खेमसिंह जरिये सरंक्षक भाई सीतारामण
    सभी जाति रावत निवासीगण ग्राम सेंदरिया तहसील व जिला–अजमेर।

.... रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :–

1.	श्री विजय सिंह रावत	अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.	श्री अनुज माथुर, लोकेश चतुर्वेदी	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3.	श्री शुभकरण सिंह चौधरी	राजकीय अभिभाषक

20/01/17

जिला कलेक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

दिनांक :– 30.05.2017

आदेश

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सेंदरिया तहसील व जिला अजमेर के वर्किंग जमाबन्दी अनुसार खाता सख्या 199 के खसरा सं0 430, 544, 641, 692, 695, 701, 702, 710, 834, 844, 875 कुल किता 11 कुल रकबा 6–00–00 बीघा जिनके हाल आधार खसरा नं0 405, 448/2066, 754/2459, 805, 804/2159, 807, 807/2161, 777, 776 1044, 1005, 1006, 1002/2185, 997 कुल किता 14 रकबा 0.96 हैक्टर अपीलान्ट्स के पिता भौमा की खातेदारी की आराजीयात थी। अपीलान्ट्स के पिता श्री भौमा के देहान्त के बाद विरासती नामान्तरकरण संख्या 63 दिनांक 26.12.1988 तस्दीक किया गया जिसमें अंकित सजरे मे भौमा जी का वारिस केवल रेस्पो0 संख्या 3, 4 एवं 5 से 7 के पिता को ही बताया गया। अपीलान्ट्स जो कि खातेदार भौमा जी की जायन्दा पुत्रियाँ है, उन्हे विवादित आराजीयात से महरूम करने की नियत से उनका नाम विरासती नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। रेस्पो0 सं0 3, 4, एवं 5 से 7 के पिता द्वारा तथ्य छुपाकर विरासत का आक्षेपीय नामान्तरकरण विधिक प्रावधानों के विपरीत अपने पक्ष में स्वीकृत करवाये जाने से रूष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अपील के विचाराधीन रहते अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 प्रस्तुत कर रेस्पो0 सं0 21 मुकेश पुत्र खेमसिंह का देहान्त होने तथा मृतक के परिवार जन पूर्व से रेकार्ड पर होने से नाम तर्क किये जाने के निवेदन पर रेस्पा0 सं0 21 का नाम तर्क किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा संशोधित उनवान पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 5 से 7 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 8 से 20 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। दौराने सुनवाई रेस्पो0 सं0 5 से 7 के UT होल्डर अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया। उपस्थित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया।

अपील बहस दौरान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम सेंदरिया तहसील व जिला अजमेर के वर्किंग जमाबन्दी अनुसार खाता सख्या 199 के खसरा सं0 430, 544, 641, 692, 695, 701, 702, 710, 834, 844, 875 कुंल किता 11 कुल रकबा 6–00–00 बीघा जिनके हाल आधार खसरा नं0 405, 448/2066, 754/2459, 805, 804/2159, 807, 807/2161, 777, 776 1044, 1005, 1006, 1002/2185, 997 कुल किता 14 रकबा 0.96 हैक्टर अपीलान्ट्स के पिता भौमा की खातेदारी की आराजीयात थी। अपीलान्ट्स के पिता श्री भौमा के देहान्त के बाद विरासती नामान्तरकरण संख्या 63 दिनांक 26.12.1988 तस्दीक किया गया जिसमें अंकित सजरे में भौमा जी का वारिस केवल रेस्पो0 संख्या 3, 4 एवं 5 से 7 के पिता को ही बताया गया। खातेदार भौमा जी की जायन्दा पुत्रियाँ (अपीलान्ट्स) को विवादित आराजीयात से महरूम करने की नियत से उनका नाम विरासती नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। रेस्पो0 सं0 3, 4, एवं 5 से 7 के पिता द्वारा तथ्य छुपाकर विरासत का आक्षेपीय नामान्तरकरण विधिक प्रावधानों के विपरीत अपने नाम स्वीकृत करवाया। स्व0 भौमा जी की जाइन्दा पुत्री होने के नाते पैतृक कृषि भूमियों में अपीलान्ट्स का भी विधिक हक, अधिकार एवं

20/6/17
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आधिपत्य निहित था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी / जांच किये बिना तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना आक्षेपित नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 63 दिनांक 26.12.1988 निरस्त कर स्व0 भौमा जी की प्रश्नगत खातेदारी आराजियात में अपीलान्ट्स का नाम संयोजित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 3 एवं पैरोकार सरकार ने मुख्यतः कथन किया कि पैतृक खातेदारी भूमि में मृतक खातेदार के सभी वारिसान, जाईन्दा पुत्रो एवं पुत्रियों का समान हक अधिकार निहित है। प्रश्नगत आराजी में अपीलान्ट्स का नाम सम्मिलित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार स्व0 भौमा के सभी विधिक वारिसान की जांच किये बिना, अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। पैतृक खातेदारी भूमि में पुत्रियों का भी हक हिस्सा निहित होने के बावजूद आक्षेपीय नामान्तरकरण में अपीलान्ट्स का नाम शामिल नहीं किया जाना जाहिर है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आक्षेपीय नामान्तरकरण सं0 63 दिनांक 26.12.1988 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इन निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, नये सिरे से गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश 60 दिवस में पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.05..2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/05/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner